न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक

79

पीठासीन अधिकारी–

कैलाश चन्द्र शर्मा
आर.ए.एस.

मिसल नम्बर	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
12/2019/प्रा.पत्र/2019	28.03.2019	27.06.2019

मदन लाल गुर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक

.... प्रार्थी

बनाम

1–दिलीप चन्द जैन पुत्र भूरालाल जैन एफ.बी.ओ. मैसर्स महावीर प्रसाद रामावतार बस स्टैण्ड कठमाणा तहसील पीपलू जिला टोंक निवासी वार्ड नं. 6 मेन मार्केट कठमाना तहसील पीपलू जिला टोंक
2– मैसर्स महावीर प्रसाद रामावतार बस स्टैण्ड कठमाणा तहसील पीपलू जिला टोंक
3–श्री मुकेश जैन प्रोपरायटर मैसर्स अभिनव ट्रेडर्स 15–16 मेन मार्केट फागी जिला जयपुर राज0
4– मैसर्स अभिनव ट्रेडर्स 15–16 मेन मार्केट फागी जिला जयपुर राज0
5–श्री विरेन्द्र कुमार यदूवंशी नॉमिनी मैसर्स श्री हरि एग्रो इण्डस्ट्रीज लिमिटेड मनेसर खेडी बेनाडा रोड तहसील बस्सी जिला जयपुर राज0
6– मैसर्स श्री हरि एग्रो इण्डस्ट्रीज लिमिटेड मनेसर खेडी बेनाडा रोड तहसील बस्सी जिला जयपुर राज0

...... अप्रार्थी

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2 (ii) एफ.एस.एस.एक्ट 2006 रूल्स 2011

उपस्थित–

1–प्रार्थी की ओर से श्री मदन लाल गुर्जर, खा0सु0अ0 स्वयं।
2–अप्रार्थीगण उपस्थित

:–<u>निर्णय</u>–: **दिनांक 27.06.2019**

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 26.10.2018 को समय 2.09 पी.एम. पर वास्ते निरीक्षण मैसर्स महावीर प्रसाद रामावतार बस स्टैण्ड कठमाणा तहसील पीपलू जिला टोंक पर पहुंचां। एफ.बी.ओ.की हैसियत से दिलीप चन्द जैन पुत्र भूरालाल जैन एफ.बी.ओ. मैसर्स महावीर प्रसाद रामावतार बस स्टैण्ड कठमाणा तहसील पीपलू जिला टोंक निवासी वार्ड नं. 6 मेन मार्केट कठमाना तहसील पीपलू जिला टोंक खाद्य पदार्थ का कारोबार करते हुए उपस्थित मिला, को अपना परिचय दिया एवं परिचय पत्र दिखाया तथा उसका परिचय लिया, पूछने पर प्रतिष्ठान का मालिक होना स्वीकार किया एवं मौके पर खाद्य अनुज्ञा पत्र होना स्वीकार किया।

आवेदक द्वारा निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय हेतु दुकान मे **ब्लेण्डेड इडिबल वेजिटेबल ऑयल मूल प्लास्टिक बोतल पैक (Blended Edible Vegetable Oil Origional Plastic Bottle Pack)** जिसके बैच नं. 11 बीएस व पैकिंग की दिनांक 01.09.2018 थी,रखा हुआ था, का निरीक्षण करने पर मिलावट की शंका होने पर. एफ.बी.ओ. श्री दिलीप चन्द जैन को गवाह के सामने फार्म नं. 5ए में वास्ते नमूना क्रय करने हेतु नोटिस देकर नोटिस की रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता दिलीप चन्द जैन एवं गवाह के हस्ताक्षर करवाकर प्रार्थी ने हस्ताक्षर कर तस्दीक किया।

आवेदक द्वारा दुकान मे **ब्लेण्डेड इडिबल वेजिटेबल ऑयल मूल प्लास्टिक बोतल पैक (Blended Edible Vegetable Oil Origional Plastic Bottle Pack)** 455–455 ग्राम के 4

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक
828

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक

Scanned by CamScanner

बोतल वास्ते आम जनता को विक्रय हेतु रखे हुये मे से वास्ते नमूना जांच खरीदा जिसकी बाजार भाव के समान कीमत एफ.बी.ओ. श्री दिलीप चन्द जैन को रू0 160/–अक्षरे एक सो चालीस रूपये नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर तथा उपस्थित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर किये।

आवेदक द्वारा खरीदशुदा **ब्लेण्डेड इडिबल वेजिटेबल ऑयल मूल प्लास्टिक बोतल पैक (Blended Edible Vegetable Oil Origional Plastic Bottle Pack)** 455–455 ग्राम के 4 बोतल को ज्यो का त्यो चार भाग तैयार कर प्रत्येक भाग को अलग–अलग करके व लेबल तैयार कर प्रत्येक भाग पर गोंद से चिपकाया और प्रत्येक लेबलो पर डी.ओ.कोड एवं क्रमांक I–1989 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं के हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता के तथा गवाह के हस्ताक्षर करवाये गये।

चारो नमूना भागो को अलग–अलग खांकी कागज में लपेटकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. I–1989 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से उपर तक गोलाई से गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर एफ.बी. ओ. दिलीप चन्द जैन के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आवे। चारो नमूना भागो को अपने जाप्ते में लिया व मोका फर्द रिपोर्ट तैयार की। खाध पदार्थ का नमूना क्रय करते समय श्री दिलीप चन्द जैन ने मौके पर **ब्लेण्डेड इडिबल वेजिटेबल ऑयल मूल प्लास्टिक बोतल पैक (Blended Edible Vegetable Oil Origional Plastic Bottle Pack)**बतोर वारन्टी मैसर्स अभिनव ट्रेडर्स 15–16 मेन मार्केट फागी जिला जयपुर राज0 का खरीद बिल क्रमांक/इन्वॉइस नं.3095 दिनांक 15.10.2018 की छायाप्रति प्रति पेश की। मैसर्स अभिनव ट्रेडर्स 15–16 मेन मार्केट फागी जिला जयपुर राज0 ने मैसर्स श्री हरि एग्रो इण्डस्ट्रीज लिमिटेड मनेसर खेडी बेनाडा रोड तहसील बस्सी जिला जयपुर राज0 का बिल क्रमांक/इन्वॉइस नं. 002665 दिनांक 02.10.2018 की छायाप्रति प्रति पेश की।

आवेदक ने कार्यालय पहुंचकर फार्म नं0 6 की 6 प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग फार्म नं0 6 की प्रति के आउटर कवर में सील बन्द कर सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक जयपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी टोंक के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए./18/3138 दिनांक 14.12.2018 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं0 एल0एस0/1845/एक्ट/2018/535 दिनांक 30.11.2018 अनुसार दिलीप चन्द जैन से वास्ते नमूना जांच विक्रय किया गया **ब्लेण्डेड इडिबल वेजिटेबल ऑयल मूल प्लास्टिक बोतल पैक (Blended Edible Vegetable Oil Origional Plastic Bottle Pack)** खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 के अनुसार **अवमानक (Sub-Standard)** का होना पाया गया।

अतः प्रकरण में अप्रार्थीगण द्वारा **अवमानक (Sub-Standard)** स्तर का **ब्लेण्डेड इडिबल वेजिटेबल ऑयल मूल प्लास्टिक बोतल पैक (Blended Edible Vegetable Oil Origional Plastic Bottle Pack)**का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 में निर्धारित है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 1 ता. 4 ने किसी प्रकार का कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया तथा अप्रार्थी संख्या 5 व 6 से उक्त **ब्लेण्डेड इडिबल वेजिटेबल ऑयल मूल प्लास्टिक बोतल पैक (Blended Edible Vegetable Oil Origional Plastic Bottle Pack)** क्रय करना बताया। अप्रार्थी संख्या 5 ने जवाब पेश किया। प्रकरण मे सरकार की और से खाद्य सुरक्षा अधिकारी एंव अप्रार्थीगण की बहस सुनी गई।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र मे अंकित तथ्यो पर प्रकाश डालते हुए निवदन किया कि अप्रार्थीगण जिस खाद्य पदार्थ **ब्लेण्डेड इडिबल वेजिटेबल ऑयल मूल प्लास्टिक बोतल पैक (Blended Edible Vegetable Oil Origional Plastic Bottle Pack)**का विक्रय कर रहा था वह खाद्य

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक

Scanned by CamScanner

(81)

विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं0 एल0एस0/1845/एक्ट/2018/535 दिनांक 30.11.2018 अनुसार **अवमानक (Sub-Standard)** का होना पाया गया। अतः अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

अप्रार्थी संख्या 5 ने दौराने बहस जवाब प्रार्थना पत्र पेश करते हुए अनुरोध किया कि उपरोक्त नमूना श्री दिलीप चन्द जैन पुत्र भूरालाल जैन एफ.बी.ओ. मैसर्स महावीर प्रसाद रामावतार बस स्टैण्ड कठमाणा तहसील पीपलू जिला टोंक निवासी वार्ड नं. 6 मेन मार्केट कठमाना तहसील पीपलू जिला टोंक से लिया गया है। नमूना परीक्षण के लिए दिनांक 29.10.2018 को खाध विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला राज0 जयपुर को भेजा गया था। फूड विश्लेषक की रिपोर्ट के आधार पर **ब्लेण्डेड इडिबल वेजिटेबल ऑयल मूल प्लास्टिक बोतल पैक (Blended Edible Vegetable Oil Origional Plastic Bottle Pack)** जिसमे विटामिन ए नेगेटिव होने के कारण **अवमानक (Sub-Standard)** का होना पाया गया उक्त रिपोर्ट के पश्चात हमने पुनः जांच नही करवाई क्योकि विटामिन जांच मे कभी दिखता है और कभी नही दिखता है क्योकि विटामिन की क्वान्टीटी कम होती है एंव तेल की मात्रा अधिक होती है। हम हमेशा विटामिन प्रत्येक बैंच मे मिलाते है एंव हमारी एंव बाहरी की लेब मे टेस्टींग करने के बाद ही माल बैचने के लिए पैक किया जाता है। अतः प्रार्थीगण को आरोपो से मुक्त किया जाकर प्रकरण निरस्त किया जावे अथवा विकल्प मे शून्य जुर्माना लगाया जाकर प्रकरण को ड्रोप फरमाया जावे। अप्रार्थी ने अपने तथ्यो की पुष्टि मे दस्तावेजात प्रस्तुत किये।

हमने बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी के पास से लिया गया **ब्लेण्डेड इडिबल वेजिटेबल ऑयल मूल प्लास्टिक बोतल पैक (Blended Edible Vegetable Oil Origional Plastic Bottle Pack)**का नमूना जांच में **अवमानक (Sub-Standard)** स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थी के विरूद्व प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 अप्रार्थी श्री विरेन्द्र कुमार यदूवंशी नॉमिनी मैसर्स श्री हरि एग्रो इण्डस्ट्रीज लिमिटेड मनेसर खेडी बेनाडा रोड तहसील बस्सी जिला जयपुर राज0 पर शास्ती 11,000/– (अक्षरे ग्यारहा हजार रू0) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये डीडी न्यायालय में अथवा जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 27.06.2019 से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 27.06.2019 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक

(कैलाश चन्द्र शर्मा)
न्याय. निर्णयन अधिकारी/अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक–राज0

Scanned by CamScanner